उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, गिरिडीह।

(जिला आपूर्ति शाखा)
ई–मेलः– dso-giridih@jharkhandmail.gov.in

झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना अन्तर्गत राशनकार्ड मुद्रण हेतु

अति अल्पकालीन निविदा सूचना

झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत अंतिम प्राथमिकता सूची बनने के पश्चात् राशनकार्ड निर्गत करने हेतु चयनित लाभुकों के डाटाबेस से PDF तैयार करते हुए राशनकार्ड का मुद्रण कराया जाना है। राशन कार्ड मुद्रण हेतु रूपये 5/–(रूपये पाँच) प्रति राशन कार्ड का दर निर्धारित है। उक्त के सन्दर्भ में सत्यापित डाटा से प्रिन्टर सेंटिंग, PDF CONVERSION इत्यादि प्रक्रिया की जानकारी, राशनकार्ड का कभर पृष्ठ एवं अन्दर के पृष्ठ का प्रारूप जिला आपूर्ति कार्यालय, गिरिडीह से प्राप्त किया जा सकता है। संबंधित योजनान्तर्गत लाभुकों को उपलब्ध कराये जाने वाले राशनकार्ड की विशेषताएँ निम्न प्रकार होंगीः–

1. राशन कार्ड कुल 12 पृष्ठ (Both side सहित) का होगा तथा प्रत्येक पृष्ठ दोनो तरफ (Both side) मुद्रित होगा।
2. राशन कार्ड का परिमाप– 13 cm (लम्बाई) X 9 cm (चौडाई) होगा।
3. पृष्ठ 1, 2, 11 एवं 12 **हरा रंग** का Cover Page होगा, जो कि **160** GSM Paper का होगा।
4. पृष्ठ 1 एवं 12 Laminated होगा।
5. पृष्ठ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एवं 10 Black and white होगा, जो कि **80** GSM paper का होगा।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में इच्छुक निविदादाताओं से निम्नांकित शर्तों के साथ एतद् द्वारा निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक निविदादाता द्वारा निविदा दिनांक 02-12-2020 को अपराह्न 01:00 बजे अपराह्न तक जिला आपूर्ति कार्यालय, गिरिडीह में मुहरबंद लिफाफे में जमा की जा सकती है।

प्राप्त निविदाओं को दिनांक 02/12/2020 के अपराह्न 03.00 बजे **जिला आपूर्ति कार्यालय, गिरिडीह** के प्रकोष्ठ में खोला जायेगा। निर्धारित तिथि के बाद निविदा स्वीकार्य नहीं होगा।

तकनीकी निविदा की शर्तेः–

1. इच्छुक निविदादाता अपना नाम, पिता/पति का नाम, वर्तमान पता, स्थायी पता, अपना व्यवसाय, पूर्व अनुभव आदि का उल्लेख अपने आवेदन पत्र में करेंगे।
2. निविदादाता द्वारा **निवासी प्रमाण पत्र** निविदा के साथ समर्पित करना अनिवार्य होगा।
3. निविदादाता को अपनी निविदा की राशि 20000/−(बीस हजार रू0) डिमाण्ड ड्राफ्ट अग्रधन के रूप में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह के पदनाम से, जो गिरिडीह में भुगतेय होगा, जमा करना होगा। निविदा समाप्ति के पश्चात् स्वीकृत निविदादाता को छोड़कर अन्य का 20000/−(बीस हजार रू0) डिमाण्ड ड्राफ्ट अग्रधन की राशि वापस कर दिया जाएगा।
4. निविदादाता को अद्यतन आयकर स्वच्छता प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, वाणिज्यकर स्वच्छता प्रमाण पत्र एवं बिक्रीकर निबंधन प्रमाण पत्र अभिप्रमाणित कर समर्पित करना अनिवार्य होगा।
5. निविदादाता को मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी पब्लिक से शपथ पत्र मूल प्रति में देना होगा कि उनका प्रतिष्ठान/कंपनी काली सूची में दर्ज नहीं है।
6. चयनित निविदादाता को निर्धारित समय–सीमा के अंदर राशन कार्ड को मुद्रण कराकर जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उनका अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायेगी। ससमय राशन कार्ड का मुद्रण के पश्चात् ही अग्रधन की राशि वापस कर दी जायेगी।
7. तकनीकि बीड में सफल पाये जाने पर ही संबंधित निविदादाता का वित्तीय निविदा खोला जायेगा।
8. सशर्त निविदा स्वीकार्य नहीं होगी।
9. निविदा को रद्द करने एवं निविदा शर्तों में संशोधन/परिवर्तन का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

<u>**तकनीकी निविदा की शर्तें:–**</u>

1. वित्तीय निविदा वाले लिफाफे में निविदादाता अधिकतम सीमा (Upper ceiling) मानकर अपना दर अंकित करेंगे।

19/11/2020

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
गिरिडीह।

19/11/2020 19.11.2020

19/11/2020

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
गिरिडीह।